भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2116
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सऊदी अरब की रियाद जेल में भारतीय

†2116. **श्री राकेश राठौरः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उन भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो काम करने के लिए विदेश गए हैं और विदेशी जेलों में बंद हैं;
(ख) क्या सरकार को इस मामले की जानकारी है कि सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निवासी श्री धर्मेंद्र कुमार पिछले दो महीनों से सऊदी अरब की रियाद जेल में कैद हैं; और
(ग) यदि हाँ, तो मंत्रालय द्वारा उक्त मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों सहित विदेशों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और स्थानीय कानूनों के उल्लंघन/कथित उल्लंघन के लिए अन्य देशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाले जाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखते हैं। जैसे ही किसी भारतीय मिशन/केंद्र को किसी भारतीय नागरिक की हिरासत/गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त होती है, दूतावास/कोंसलावास के अधिकारी स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से तुरंत संपर्क करते हैं ताकि हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार भारतीय नागरिक को कोंसली सहायता प्रदान की जा सके, मामले के तथ्यों, उसकी भारतीय राष्ट्रीयता का पता लगाया जा सके और उसका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। मिशन/केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहते हैं कि विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी का मुद्दा विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है। विदेश स्थित मिशन/केन्द्र जाँच और न्यायिक कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी संपर्क में रहते हैं। सरकार अन्य देशों के साथ कोंसली और अन्य परामर्शों के दौरान भी इस मुद्दे पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों/केन्द्रों के माध्यम से और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान विदेशों में मौजूद भारतीय कैदियों को क्षमादान प्रदान करने/ सजा में कटौती के लिए भी प्रयास करती है। भारत ने अनेक देशों के साथ कैदी स्थानांतरण संधियाँ भी संपन्न की हैं जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उसके गृह देश में स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।

विदेशों में कैद भारतीय नागरिकों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन और केंद्र आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं। जहाँ भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या मौजूद है, वहाँ मिशन और केन्द्रों में वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी होता है। संबंधित भारतीय दूतावास द्वारा किसी भारतीय कैदी को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों में भारतीय समुदायिक कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई

है, जो संकटग्रस्त प्रवासी भारतीय नागरिकों को योग्य मामलों में साधन परीक्षण के आधार पर सहायता प्रदान करती है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता के साथ-साथ स्वदेश वापसी के लिए यात्रा दस्तावेज़/हवाई टिकट संबंधी वित्तीय सहायता भी शामिल है।

(ख) और (ग) श्री धर्मेंद्र कुमार राम दीन को 24.04.2025 को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय दूतावास, रियाद के अधिकारियों ने रियाद सेंट्रल जेल का दौरा किया और श्री धर्मेंद्र कुमार को कोंसली सहायता प्रदान की है। उन्हें 14.07.2025 को जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद, दूतावास के अधिकारियों ने उनके प्रायोजक से संपर्क किया और अंतिम निकासी पत्र प्राप्त किया, जो उनकी भारत वापसी के लिए अनिवार्य था। श्री धर्मेंद्र कुमार 18.07.2025 को सुरक्षित भारत पहुँच गए। दूतावास के अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए उनके परिवार के साथ नियमित संपर्क में रहे।

*****